उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन 14-अशोक
लखनऊ-2

संख्या– 233 प्र0सु0–01 / पाकालि / 2007–19–प्र0सु0 / 2004 दिनांक : 12, सितम्बर , 2007

कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन कर्ता को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना न देने या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार करने या जान बूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देने के लिए कारपोरेशन, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की प्रत्याप्ति सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी से किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0–177–प्र0सु0–01 / पाकालि / 2007–19–प्र0सु0 / 2004 दिनांक 02.08.2007 द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

2– प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सूचना आयोग द्वारा कारपोरेशन, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित की गयी शास्ति की प्रत्यापित हेतु उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी को चिन्हित किये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1–	मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम) (मुख्य अभियन्ता–स्तर–I)	–	अध्यक्ष
2–	उपमहाप्रबन्धक (सचिवालय प्रशासन)	–	सदस्य एवं संयोजक
3–	सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम / सम्बन्धित कारपोरेशन की इकाई, जहाँ से सूचना उपलब्ध करायी गयी है या सूचना उपलब्ध करायी जानी है, के अपीलीय अधिकारी। (कारपोरेशन, मुख्यालय को छोड़कर)	–	सदस्य

कारपोरेशन, मुख्यालय से सम्बन्धित प्रकरणो में उपर्युक्त समिति में तीसरे सदस्य के रूप में महाप्रबन्धक (का0प्र0–तृतीय) नामित होगें।

समिति सन्दर्भित प्रकरणों में अपनी अनुशंसायें यथाशीघ्र निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पा0का0लि0 को प्रस्तुत करेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 233 (1)–प्र0सु0–01 / पाकालि / 2007, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

JAN SHAKTI

4. समस्त निदेशकगणों से सम्बद्व निजी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणाचल/पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (का0प्र0–III/औ0सं0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), उ0प्र0 पा0का0लि0।
11. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पा0का0लि0।
12. महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त प्रबन्ध), उ0प्र0 पा0का0लि0।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
14. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पा0का0लि0।
15. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0।
16. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ई0), महालेखाकार (आडिट) द्वितीय, कार्यालय, उ0प्र0 पा0का0लि0।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
18. समस्त उपसचिव/अनुसचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. समस्त अनुभाग/कोष्ठक/शिविर, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
21. अधिशासी अभियन्ता, (वेब), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वेबसाईट में अपडेशन हेतु।

आज्ञा से,

(बी0के0 भट्ट)
मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम)